संख्या-17/2020/417/71-4-2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 09 अप्रैल, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के अन्तर्गत मेडिकल कालेज एवं पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के कार्मिकों के वेतन एवं गैर वेतन मद की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-04/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/बजट/2020-21, 01.04.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के अन्तर्गत मेडिकल कालेज के सम्मुख अंकित 31-सहायता अनुदान सामान्य वेतन मद में रू0 17500.00 लाख एवं 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0 1250.00 लाख तथा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सैफई, इटावा के सम्मुख अंकित 31-सहायता अनुदान सामान्य वेतन रू0 1364.27 लाख एवं 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0 200.00 लाख अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं।

(धनराशि रू0 लाख में)

1.	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा		
	राजस्व	31-सहायता अनुदान सामान्य वेतन	17500.00
		20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	1250.00
2.	पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय सैफई, इटावा		
	राजस्व	31-सहायता अनुदान सामान्य वेतन	1364.27
		20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	200.00

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 के प्रस्तर-2(6) में उल्लिखित प्राविधानानुसार विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि यदि अवशेष है, तो इसका पहले समायोजन करने के उपरान्त ही उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया जायेगा तथा समायोजन का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5- गत् वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत धनराशि तथा वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।

6- धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय/संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जाएगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किए गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-17**/2020/417**(1)/71-4-2020-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग,उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकर, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
5- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-2
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in